

## कार्यालय

## जिलाधिकारी

## बुलन्दशहर।

पत्रांक: १७०३ /न्याय सहायक/ कोरोना वायरस/ 2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

### बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 613/पॉच-5-2021 दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन के सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 25 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 50 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संकिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।
- (4) बहुमिला भवन में एक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में भवन के जिस तल पर उस केस का आवास हो, उस तल को कंटेनमेंट जोन तथा बहुमिला भवन में एक से अधिक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में संबंधित टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया जायेगा।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियाँ अनिवार्यतः की जाएं-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकं, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाइन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिह्नित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्त पूर्ण करते हैं तो होम (आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की सतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई०/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौवाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 01-06-2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश ने कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टर्सेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 613 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें-42 शहरी क्षेत्र में-अम्बा एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० लक्ष्मी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० मोहन नगर चॉदपुर रोड़, नगर पालिका क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म०००-१२५, सुशीला विहार, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, दीपीपुरा प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० साठा, निकट बालाजी मन्दिर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० आदर्श नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म०००-२२, डी०ए० रोड़, आवास विकास प्रथम, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, पन्नी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शान्ति नगर भूळ, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० सूर्या नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मानसरोवर कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, कैलाशपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० इन्द्रानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर वी-१८७, डब्ल्यूएस यमुनापुरा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० रामा एनकलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शर्मा इंटरर कालेज के पीछे चाली गली, म०००-६०६, विक्रम आदित्यलेन नजीमपुरा भूळ, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म०००-११५, एल०आई०जी० गंगानगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, हरी एन्कलेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, दीपीपुरा द्वितीय नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० टांडा, अनूपशहर रोड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म०००-२/३ पुरिस लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० शान्ति निकेतन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म०००-१००/३२, दुर्गा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, म०००-२४४, ई०डब्ल्यूएस० आवास विकास-२ नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शीतल गंज, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, १३१, मौ० प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, २५/६५/९ आवास विकास प्रथम, अजन्ति नगर नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, २३३ डिप्टी गंज, बुलन्दशहर, मौ० अवरजिन्द्यान, ऊपरकोट, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, ग्राम वलीपुरा, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, कै०पी० रोड़, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रेसकोर्स कालोनी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर ग्रामीण क्षेत्र में-५७१ हॉट स्पॉट-खुर्जा जक्कान, निशर शिव भैंसेर, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम खुशहालपुर, वि०ख० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम जटपुरा, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम नयाबांस, वि०ख० व तहसील स्थाना।







बनवारीपुर, विंखो व तहसील शिकारपुर, ग्राम कीरतपुर, विंखो पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम कादरपुर, विंखो व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम कादरीबाग, माजरा पला कसेर, विंखो व तहसील डिबाई, ग्राम शहदवाँ, विंखो दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम गोविन्दपुर, विंखो व तहसील डिबाई, ग्राम सदरपुर, विंखो लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कुड़वल बनारस, विंखो व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अहमदगढ़, विंखो पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम नगला काला, विंखो व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम खानपुर, विंखो व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम ग्वारौली, विंखो अरनियां, तहसील खुर्जा, कबूतर पैठ, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम बगठारी, विंखो दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम खनौदा, विंखो व तहसील अनूपशहर, ग्राम गहना गोवर्धनपुर, विंखो व तहसील अनूपशहर बने हैं जिनमें

आज दिनांक 01-06-2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-19650 है, 18558 व्यक्ति होम क्वारेनटाइन में है। जनपद में 211 पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं

अधिवक्तागण में संक्षम होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।  
संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,  
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक- ०१.०६. 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर।

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर